

अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन
ANDAMAN AND NICOBAR ADMINISTRATION
सचिवालय/SECRETARIAT

Port Blair, dated the 03rd December 2020.

PRESS NOTE

It is brought to notice of all concerned that the Draft Recruitment Rule for the post of Laboratory Assistant, borne in the Establishment of Jawaharlal Nehru Rajkeeya Mahavidyalaya, Port Blair and Mahatma Gandhi Government of College, Mayabunder, is uploaded by this Administration, in the Administration's website www.andaman.gov.in inviting suggestions/objections (if any), from the stakeholders on the Draft Recruitment Rules. The claims/objection or comments may be submitted to the undersigned within 30(thirty) days from the date of publication of this Press Note. No claim and objection will be entertained after 30(thirty) days of publication of this Press Note.

Assistant Secretary (Hr.Edn.)
A&N Administration, Secretariat.
(F.No.7-19/2011-D-IV)

Copy to :

1. PS to Secretary (Edn.), A&N Administration for kind information of the Secretary (Edn.)
2. The Director (IP), A&N Administration for information and necessary action.
3. The Manager, Govt. Press, Port Blair, with the request to publish the Press Note in the 'Daily Telegram' for 02(two) consecutive days on or before _____, and two copies of the edition may be forwarded to undersigned for reference and records.
4. The Chief Editor, "Dweep Samachar" Govt. Press, Port Blair, with the request to publish the Press Note in the 'Dweep Samachar' for 02(two) consecutive days on or before _____, and two copies of the edition may be forwarded to undersigned for reference and records.(Copy enclosed).
5. The Executive Officer(SOVTECH), DBRAIT Campus, Pahargaon, Port Blair, with the request to upload the above PRESS NOTE alongwith draft notification and schedule of RRs for the post of Assistant Professor in the website www.andaman.gov.in
6. The Principal, JNRM, Port Blair and MGGC, Mayabunder for information.

Assistant Secretary (Hr.Edn.).

अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन
ANDAMAN AND NICOBAR ADMINISTRATION
सचिवालय/SECRETARIAT

Port Blair, dated the December, 2020.

NOTIFICATION.

No..... F.No.7-19/2011-D-IV – In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, New Delhi, Notification No.14/3/60-ANL dated 11.04.1960, and in supersession of **Schedule – IV** Notification No.111/2011/ F.No.1-606/2009-D-IV dated 12th April, 2011, , the Lieutenant Governor(Administrator), Andaman and Nicobar Islands, hereby makes the following Rules regulating to the method of recruitment to the Group ‘C’ posts (Non-Gazetted, Non-Ministerial), of ‘**Laboratory Assistant**’ borne in the establishment of **Jawaharlal Nehru Rajkeeya Mahavidyalaya, Port Blair and Mahatma Gandhi Government College, Mayabunder**, of Andaman and Nicobar Administration. Namely:-

1. Short Title and Commencement:

- (i) These Rules may be called the Andaman and Nicobar Administration Group ‘C’ Non-Gazetted, Non-Ministerial post of Laboratory Assistant Recruitment (Amendment) Rules, 2020.
- (ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and scale of pay:

The number of posts, its classification and the level of Pay/Pay scale attached thereto shall be as specified in Para 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit and qualification etc:

The method of recruitment, age limit, qualification and other matters relating to the said posts shall be as specified in Paras 5 to 13 of the said schedule annexed to these rules.

4. Disqualification:

No person.

- (a) Who has entered into or contractual a marriage with any person having a spouse living, or
- (b) Who having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Lieutenant Governor (Administrator), Andaman and Nicobar Islands, may, if satisfied that such marriage is permissible under any personal law applicable to such persons and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of these Rules

5. Power to relax:

Where the Lieutenant Governor(Administrator), Andaman and Nicobar Island, is of the opinion it is necessary or expedient to do so, he may, by order for reasons

to be recorded in writing and relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Savings:

Nothing in these rules shall affect the reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Casts, the Scheduled Tribes and other specified categories of persons in accordance with the order issued by the Central Government from time to time in this regard,

Admiral D.K.Joshi
PVSM, AVSM, YSM, NM, VSM (Retd.)
Lieutenant Governor
Andaman & Nicobar Islands.

By order and in the name of Lieutenant Governor
(Administrator) Andaman and Nicobar Islands.

Kriti Garg
Secretary (Hr. Edn.)
A & N Administration.

SCHEDULE.

1.	Name of post	LABORATORY ASSISTANT
2.	No. of post	13(2020)* 12 in JNRM and 01 in MGGC *subject to variation depending on workload.
3.	Classification	General Central Services Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial.
4.	Pay level in the Pay Matrix	Level – 4 Rs.25500 – 81100/-/-
5.	Whether selection post or non-selection post.	Not applicable
6.	Age limit for direct recruits.	18 – 33 for Male 18 – 38 for Female (The upper age limit is relaxable for departmental candidates upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). (Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul & Spiti District and Pangti Sub-division of Himachal Pradesh, Andaman & Nicobar or Lakshadweep).
7.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	<u>Eligibility</u> B.Sc, Degree from a recognized university/institution. <u>Desirable</u> 02 years professional experience in Laboratory work in any reputed Educational Institution/Pharmacy.
8.	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes?	Not applicable
9.	Period of probation, if any.	02 years With mandatory induction training of atleast two weeks duration for successful completion of the probation period.
10.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	100% direct recruitment.
11.	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption grades from which promotion/deputation/absorption.	Not applicable.
12.	If a DPC exists, what is its composition.	Group 'C' DCC (For considering confirmation etc.) <u>For JNRM, Port Blair.</u> 1.Principal, JNRM - Chairman 2. Principal, DBRAIT - Member. 3, Sr. Most Associate Professor nominated by the Principal, JNRM - Member. <u>For MGGC, Mayabunder.</u> 1.Principal, MGGC - Chairman 2. Executive Engineer, NACD, APWD, Mayabunder - Member. 3. Sr. Most Associate Professor nominated by the Principal, MGGC. - Member.
13.	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment.	Not applicable.

Duties and Responsibilities.

1. Proper maintenance of stock register and stores.
2. Assist the Assistant Professors/Associate Professors during practical classes, Conduct of experiments and practical exams in the UG and PG classes.
3. Any other works as and when assigned by the superior/HOD/Principal.

अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन
ANDAMAN AND NICOBAR ADMINISTRATION
सचिवालय/SECRETARIAT

Port Blair, dated the December, 2020.

NOTIFICATION.

No.....F.No.7-19/2018-D-IV. In exercise of powers conferred by Proviso to Article 309 of the Constitution of India, read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, New Delhi, Notification No.14/3/60-ANL dated 11.04.1960, and in supersession of **Schedule – VII**, Notification No.37/2011/F.No.7-19/1997-D-IV dated 27.11.2011, the Lieutenant Governor(Administrator), Andaman and Nicobar Islands, hereby makes the following Rules regulating to the method of recruitment to the Group 'C' posts (Non-Gazetted, Non-Ministerial), of '**Gestetner Operator**' borne in the establishment of **Mahatma Gandhi Government College, Mayabunder**, of Andaman and Nicobar Administration. Namely:-

1. Short title and commencements:

- (i) These rules may be called the Andaman and Nicobar Administration, (Group 'C; Non-Gazetted, Non-Ministerial posts), Recruitment Rules, 2020.
- (ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and scale of pay:-

The number of posts, classification and scale of Pay attached thereto shall be as specified in Paras 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications etc:-

The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in Paras 5 to 15 of the Schedule annexed to these rules.

4. Disqualification :-

No person.

- (i) Who has entered into or contracted a marriage with any person, having a spouse living, or
- (ii) Who, having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Lieutenant Governor(Administrator), Andaman and Nicobar Islands, if satisfied that such marriage is permissible under any personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of these rules

5. Powers to Relax :-

Where the Lieutenant Governor(Administrator), Andaman and Nicobar Islands is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, he may, by order for the reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of person.

6. Saving :-

Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the candidate belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other specific categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

Admiral D.K.Joshi
PVSM, AVSM, YSM, NM, VSM (Retd.)
Lieutenant Governor
Andaman & Nicobar Islands.

By order and in the name of Lieutenant Governor
(Administrator) Andaman and Nicobar Islands.

Kriti Garg
Secretary (Hr. Edn.)
A & N Administration

RR FOR THE POST OF GESTETNER OPERATOR IN THE ESTT OF MGGC, MAYABUNDER

1.	Name of post.	Gestetner Operator.
2.	No. of post	01(one), 2020. Subject to variation dependent on workload.
3.	Classification.	General Central Services Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial.
4.	Level in the Pay Matrix	Level in the Pay Matrix Level – 2 (19900 – 63200/-)
5.	Whether selection or non-selection	Selection
6.	Age limit for direct recruits.	18-33 for Male 18-38 for Female (The upper age limit is Relaxable for departmental candidates upto 40 years in accordance with the instruction or orders issued by Central Government) Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of J&K State, Lahaul & Spiti District and Pangi Sub-Division of Himachal Pradesh, Andaman & Nicobar Islands or Lakshadweep.
7.	Educational & other qualification required for direct recruits.	1.Essential : (i) Passed in Secondary School Examination (Xth St.) from a recognized board/institution. (ii) Must possess good knowledge in handling Gestetner machine and pass in the trade test. 2. Desirable : (i) 01(one) year experience in handling Gestetner machine and its maintenance. Training for direct recruitment Training: 1 to 2 week in service training is a pre requisite for successful completion of the probation.
8.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees?	Age: No. Educational Qualification : No.
9.	Period of probation, if any	02(two) years for direct recruitment.
10.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption & % of the vacancies to be filled by various methods.	By promotion failing which by direct recruitment.
11.	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption to be made	Promotion from amongst MTS of the department in the pay Level – 1, of Rs.18000-56900/-, with 03(three) years regular service in the grade and having successfully completed 1-2 weeks training in handling Gestetner machine and its maintenance.
12.	If a DPC exists, what is its composition	Group 'C' DPC for considering promotion consisting of:- 1.Principal,MGGC, Mayabunder – Chairman 2. Exe.Engineer, NACD, APWD, Mayabunder - Member. 3.Sr.Most Lecturer of MGGC, - Mayabunder Group 'C' DCC for considering confirmation consisting of :- 1.Principal,MGGC, Mayabunder – Chairman 2. Exe.Engineer, NACD, APWD, Mayabunder - Member. 3. Sr.Most Lecturer of MGGC, Mayabunder - Member.
13.	Circumstances in which UPSC is to be	Not Applicable.

JOB DESCRIPTION FOR THE POST OF GESTETNER OPERATOR.

1. Operating copier (in lieu of Gestetner or litho) digital photocopier(Xerox machine).
2. Audio – visual supervision for seminars, meetings and other competitions (symposia, debate painting) in the college.
3. Maintain and handling of copier properly.
4. Keeping the records of copying properly.
5. Issue of receipts to the staff and students for copying.
6. Keeping the account of papers, toners etc. which are used for copier.
7. Any other duty assigned, in public interest.

अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन
ANDAMAN AND NICOBAR ADMINISTRATION
सचिवालय/SECRETARIAT

Port Blair, dated the December, 2020.

PRESS NOTE

It is brought to notice of all concerned that the Draft Recruitment Rule for the post of 'Gestetner Operator' borne in the Establishment of Mahatma Gandhi Government of College, Mayabunder, is uploaded by this Administration, in the Administration's website www.andaman.gov.in inviting suggestions/objections (if any), from the stakeholders on the Draft Recruitment Rules. The claims/objection or comments may be submitted to the undersigned within 30(thirty) days from the date of publication of this Press Note. No claim and objection will be entertained after 30(thirty) days of publication of this Press Note.

Assistant Secretary (Hr.Edn.)
A&N Administration, Secretariat.
(F.No.7-19/2011-D-IV)

Copy to:

1. PS to Secretary (Edn.), A&N Administration for kind information of the Secretary (Edn.)
2. The Director (IP), A&N Administration for information and necessary action.
3. The Manager, Govt. Press, Port Blair, with the request to publish the Press Note in the 'Daily Telegram' for 02(two) consecutive days on or before , and two copies of the edition may be forwarded to undersigned for reference and records.
4. The Chief Editor, "Dweep Samachar" Govt. Press, Port Blair, with the request to publish the Press Note in the 'Dweep Samachar' for 02(two) consecutive days on or before , and two copies of the edition may be forwarded to undersigned for reference and records.
5. The Executive Officer(SOVTECH), DBRAIT Campus, Pahargaon, Port Blair, with the request to upload the above PRESS NOTE alongwith draft notification and schedule of RRs for the post of Assistant Professor in the website www.andaman.gov.in
6. The Principal, JNRM, Port Blair and MGGC, Mayabunder for information.

Assistant Secretary (Hr.Edn.).

अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन
सचिवालय

पोर्ट ब्लेयर, दिनांक दिसंबर, 2020

अधिसूचना

सं.....फा.सं.7-19/2011-डी-IV- भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली के दिनांक 11/04/1960 की अधिसूचना सं.-14/3/60-ए.एन.एल के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा दिनांक 12 अप्रैल, 2011 को जारी अनुसूची-IV अधिसूचना सं. 111/2011/फा.सं.1-606/2009-डी-IV का अधिकरण करते हुए उप राज्यपाल (प्रशासक), अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह एतद्द्वारा अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय, पोर्ट ब्लेयर तथा महात्मा गाँधी राजकीय महाविद्यालय, मायाबन्दर की स्थापना में 'प्रयोगशाला सहायक' के वर्ग 'ग' (अराजपत्रित, गैर लिपिक वर्गीय) पदों की भर्ती पद्धति को नियमित करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ:-

- (i) इन नियमों को अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन, में प्रयोगशाला सहायक के वर्ग 'ग' अराजपत्रित, गैर लिपिक वर्गीय पदों की (संशोधित) भर्ती नियामवली, 2020 कहा जाएगा।
- (ii) ये इनके सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमान :-पद संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन/वेतनमान आदि वही होंगे जो इस नियामवली के साथ संलग्न अनुसूची के पैरा 2 से 4 में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती पद्धति, आयु सीमा, शैक्षिक योग्यता आदि :-उक्त पद से संबंधित भर्ती पद्धति, आयु सीमा तथा अन्य बातें वही होंगे जो उपकथित अनुसूची के पैरा 5 से 13 में विनिर्दिष्ट है।

4. अयोग्यताएँ:-

कोई भी ऐसा व्यक्ति उक्त पद के लिए पात्र नहीं होगा, जिसने:

(क) ऐसे व्यक्ति से शादी या विवाह संविदा की हो जिसका पति अथवा पत्नी जीवित हो,

या

(ख) पति/पत्नी के जीवित होते हुए अन्य किसी व्यक्ति से शादी या विवाह संविदा की हो, बशर्ते उप राज्यपाल (प्रशासक), अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह का यह समाधान हो जाने पर कि ऐसी शादी ऐसे व्यक्ति को और शादी के दूसरे पक्ष को लागू होने वाली स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है तथा ऐसा करने के अन्य आधार हैं, किसी भी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकते हैं।

5. ढील देने की शक्ति:-

जहाँ उप राज्यपाल (प्रशासक), अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह की राय में किसी भी श्रेणी या वर्ग के व्यक्तियों के संबंध में इन नियमों के किसी उपबन्ध में ढील देना आवश्यक या समीचीन हों तो वे कारणों को अभिलिखित करते हुए आदेश द्वारा ऐसा कर सकते हैं।

6. व्यावृत्ति:-

इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षणों, आयु सीमा संबंधी रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेंगी, जिन का इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है।

(एडमिरल डी.के.जोशी)

पी.वी.एस.एम., ए.वी.एस.एम., वाई.एस.एम, एन.एम, वी.एस.एम.(अवकाशप्राप्त)

उप राज्यपाल

अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह

उप राज्यपाल (प्रशासक) अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह

के आदेश से तथा उनके नामपर

(कृति गर्ग)

सहायक सचिव (उच्च शिक्षा)

अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन

अनुसूची

1	पदनाम	प्रयोगशाला सहायक
2	पदों की संख्या	13 (2020) * 12 ज.ने.रा.म में तथा 01 म.ग.रा.म में *कार्यभार पर निर्भर करते हुए परिवर्तनीय
3	वर्गीकरण	सामान्य केन्द्रीय सेवा वर्ग 'ग', अराजपत्रित, गैर लिपिक वर्गीय
4	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	स्तर-4 रु. 25500-81100 /-
5	चयन पद अथवा गैर चयन पद	लागू नहीं
6	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	18-33 पुरुषों के लिए 18-38 महिलाओं के लिए (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार विभागीय उम्मीदवारों को ऊपरी आयु सीमा में 40 वर्ष तक की छूट दी जाएगी) नोट: आयु सीमा को निर्धारित करने की नियत तिथि भारत में रहने वाले उम्मीदवारों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि ही होगी और ना कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर के लद्दाख मंडल, हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्फीती जिला तथा हिमाचल प्रदेश के पनजी उप मण्डल, अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में रहने वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित अंतिम तिथि।
7	सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षिक एवं अन्य योग्यताएँ	अनिवार्य :- किसी भी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय /संस्थान से विज्ञान स्नातक की डिग्री प्राप्त किया हो। वांछनीय : किसी भी प्रतिष्ठित संस्थान/फार्मसी में कार्य करने का 02 वर्षों का व्यावसायिक अनुभव हो।
8	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु तथा शैक्षिक योग्यताएँ, पदोन्नति की स्थिति में लागू होंगी।	लागू नहीं।
9	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो तो	02 वर्ष परिवीक्षा की अवधि को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए 02 सप्ताह का आवश्यक अधिष्ठापन प्रशिक्षण पूरा करना अनिवार्य है।
10	भर्ती की पद्धति, क्या सीधी भर्ती द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।	100 % सीधी भर्ती द्वारा

11	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन के मामले में वे ग्रेड जिन से पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना है।	लागू नहीं।
12	यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है तो उसका गठन क्या है।	<p>वर्ग 'ग' विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण आदि पर विचार करने के लिए)</p> <p>जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय, पोर्ट ब्लेयर के लिए –</p> <p>1. प्राचार्य, ज.ने.रा.म. – अध्यक्ष</p> <p>2. प्राचार्य, डिब्रेट – सदस्य</p> <p>3. प्राचार्य, ज.ने.रा.म. द्वारा नामित वरिष्ठतम एसोसिएट प्रोफेसर – सदस्य</p> <p>महात्मा गाँधी राजकीय महाविद्यालय, मायाबन्दर के लिए –</p> <p>1. प्राचार्य, म.ग.रा.म. – अध्यक्ष</p> <p>2. कार्यपालक अभियंता, एन.ए.सी.डी., अ.लो.नि.वि, मायाबन्दर – सदस्य</p> <p>3. प्राचार्य, म.ग.रा.म. द्वारा नामित वरिष्ठतम एसोसिएट प्रोफेसर – सदस्य</p>
13	परिस्थितियाँ जिसमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है।	लागू नहीं।

कार्य तथा उत्तरदायित्व

1. स्टॉक रजिस्टर एवं भण्डार सामग्रियों का उचित अनुरक्षण करना ।
2. स्नातक और स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रैक्टिकल कक्षाओं, परीक्षणों तथा प्रैक्टिकल परीक्षाओं के आयोजन के दौरान सहायक प्रोफेसरों/एसोसिएट प्रोफेसरों को सहायता प्रदान करना ।
3. उच्चाधिकारी/विभागाध्यक्ष/प्रधानाचार्य द्वारा समय-समय पर सौंपे गए अन्य कार्यों का निष्पादन ।

अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन
सचिवालय

पोर्ट ब्लेयर, दिनांक दिसंबर, 2020

प्रेस विज्ञप्ति

सभी संबंधितों को यह सूचित किया जाता है कि जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय, पोर्ट ब्लेयर तथा महात्मा गाँधी राजकीय महाविद्यालय, मायाबन्दर की स्थापना में ' प्रयोगशाला सहायक ' के पद की भर्ती नियमावली के प्रारूप के संबंध में स्टेकहोल्डरों से दावे तथा आपत्तियाँ आमंत्रित करने हेतु इस प्रशासन द्वारा प्रशासनिक वेबसाईट www.andaman.gov.in पर इस पद की भर्ती नियमावली का प्रारूप अपलोड किया गया है । इस प्रेस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने की तिथि से 30(तीस) दिनों के भीतर अद्योहस्ताक्षरी के पास इस संबंध में दावे/आपत्तियाँ अथवा टिप्पणियाँ जमा करना होगा । इस प्रेस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने की तिथि से 30(तीस) दिनों के बाद किसी भी दावे तथा आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा ।

उप सचिव (उच्च शिक्षा)
अं तथा नि प्रशासन, सचिवालय
(फा.सं.7-19/2011-डी. iv)

प्रतिलिपि :

1. सचिव (शिक्षा), अं तथा नि प्रशासन के निजी सचिव को सचिव (शिक्षा) के सूचनार्थ ।
2. निदेशक (सूचना एवं प्रचार) अं तथा नि प्रशासन को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु ।
3. प्रबन्धक, राजकीय मुद्रणालय, पोर्ट ब्लेयर इस अनुरोध के साथ कि इस प्रेस विज्ञप्ति को दिनांक.....या उससे पहले लगातार 02 (दो) दिनों तक 'डेली टेलीग्राम्स' में प्रकाशित करें तथा इस प्रकाशन की दो प्रतियाँ अद्योहस्ताक्षरी को रेकार्ड तथा रेफरंस हेतु अग्रेषित करें ।
4. मुख्य सम्पादक, "द्वीप समाचार" राजकीय मुद्रणालय, पोर्ट ब्लेयर इस अनुरोध के साथ कि इस प्रेस विज्ञप्ति को दिनांक.....या उससे पहले लगातार 02 (दो) दिनों तक 'द्वीप समाचार' में प्रकाशित करें तथा इस प्रकाशन की दो प्रतियाँ अद्योहस्ताक्षरी को रेकार्ड तथा रेफरंस हेतु अग्रेषित करें । (प्रति संलग्न) ।
5. कार्यकारी अधिकारी (सोवटेक), डिब्रेट कैम्पस, पहाड़गाँव, पोर्ट ब्लेयर, इस अनुरोध के साथ कि उपरोक्त प्रेस विज्ञप्ति को ' प्रयोगशाला सहायक ' के पद की अधिसूचना तथा भर्ती नियमावली के प्रारूप सहित वेबसाईट www.andaman.gov.in पर अपलोड करें ।
6. प्राचार्य ज.ने.रा.म, पोर्ट ब्लेयर तथा म.ग.रा.म, मायाबन्दर को सूचनार्थ ।

उप सचिव (उच्च शिक्षा)

अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन
सचिवालय

पोर्ट ब्लेयर, दिनांक दिसंबर, 2020

अधिसूचना

सं.....फा.सं.7-19/2018-डी-IV- भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली के दिनांक 11/04/1960 की अधिसूचना सं.-14/3/60-ए.एन.एल के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा दिनांक 27/11/2011 को जारी अनुसूची-VII अधिसूचना सं. 37/2011/फा.सं.7-19/1997-डी-IV का अधिक्रमण करते हुए उप राज्यपाल (प्रशासक), अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह एतद्वारा अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के महात्मा गाँधी राजकीय महाविद्यालय, मायाबन्दर की स्थापना में 'गेस्टेटर ऑपरेटर' के वर्ग 'ग' (अराजपत्रित, गैर लिपिक वर्गीय) पदों की भर्ती पद्धति को नियमित करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ:-

- (i) इन नियमों को अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन, (वर्ग 'ग' अराजपत्रित, गैर लिपिक वर्गीय) पदों की भर्ती नियामवली, 2020 कहा जाएगा।
- (ii) ये इनके सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमान :-पद संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन/वेतनमान आदि वही होंगे जो इस नियामवली के साथ संलग्न अनुसूची के पैरा 2 से 4 में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती पद्धति, आयु सीमा, शैक्षिक योग्यता आदि :-उक्त पद से संबंधित भर्ती पद्धति, आयु सीमा, शैक्षिक योग्यता तथा अन्य बातें वही होंगे जो उपकथित अनुसूची के पैरा 5 से 15 में विनिर्दिष्ट है।

4. अयोग्यताएँ:-

कोई भी ऐसा व्यक्ति उक्त पद के लिए पात्र नहीं होगा, जिसने:

(क) ऐसे व्यक्ति से शादी या विवाह संविदा की हो जिसका पति अथवा पत्नी जीवित हो,
या

(ख) पति/पत्नी के जीवित होते हुए अन्य किसी व्यक्ति से शादी या विवाह संविदाकी हो, बशर्तें उपराज्यपाल (प्रशासक), अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह को यह समाधान हो जाने पर कि ऐसी शादी ऐसे व्यक्ति को और शादी के दूसरे पक्ष को लागू होने वाली स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है तथा ऐसा करने के अन्य आधार है, किसी भी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकते हैं।

5. ढील देने की शक्ति:—

जहाँ उप राज्यपाल (प्रशासक), अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह की राय में किसी भी श्रेणी या वर्ग के व्यक्तियों के संबंध में इन नियमों के किसी उपबन्ध में ढील देना आवश्यक या समीचीन हो तो वे कारणों को अभिलिखित करते हुए आदेश द्वारा ऐसा कर सकते हैं।

6. व्यावृत्ति:—

इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षणों, आयु सीमा संबंधी रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेंगी, जिन का इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय—समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है।

(एडमिरल डी.के.जोशी)

पी.वी.एस.एम., ए.वी.एस.एम., वाई.एस.एम, एन.एम, वी.एस.एम.(अवकाशप्राप्त)

उप राज्यपाल

अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह

उप राज्यपाल (प्रशासक), अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह
के आदेश से तथा उनके नाम पर

(कृति गर्ग)

सचिव (उच्च शिक्षा)

अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन

महात्मा गाँधी राजकीय महाविद्यालय, मायाबन्दर की स्थापना में ' गेस्टेटर ऑपरेटर ' के पद की भर्ती नियमावली अनुसूची

1	पदनाम	गेस्टेटर ऑपरेटर
2	पदों की संख्या	01 (2020) * *कार्यभार पर निर्भर करते हुए परिवर्तनीय
3	वर्गीकरण	सामान्य केन्द्रीय सेवा वर्ग 'ग',अराजपत्रित, गैर लिपिक वर्गीय
4	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	वेतन मैट्रिक्स में स्तर स्तर-2 (19900-63200 / -)
5	चयन पद अथवा गैर चयन पद	चयन पद
6	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	18-33 पुरुषों के लिए 18-38 महिलाओं के लिए (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार विभागीय उम्मीदवारों को ऊपरी आयु सीमा में 40 वर्ष तक की छूट दी जाएगी) नोट: आयु सीमा को निर्धारित करने की नियत तिथि भारत में रहने वाले उम्मीदवारों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि ही होगी और ना कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर के लद्दाख मंडल, हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्फीती जिला तथा हिमाचल प्रदेश के पनजी उप मण्डल, अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में रहने वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित अंतिम तिथि।
7	सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षिक एवं अन्य योग्यताएँ	अनिवार्य :- (i)किसी भी मान्यताप्राप्त बोर्ड /संस्थान से माध्यमिक स्कूल परीक्षा (10वीं कक्षा) उत्तीर्ण किया हो। (ii)गेस्टेटर मशीन चलाने का अनुभव तथा ट्रेड परीक्षा उत्तीर्ण किया हो। वांछनीय : (i) गेस्टेटर मशीन चलाने तथा उसके रख-रखाव का 01(एक) वर्ष का अनुभव। सीधी भर्ती के लिए प्रशिक्षण प्रशिक्षण : परीवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी करने के लिए 1 से 2 सप्ताह का सेवाकालीन प्रशिक्षण अनिवार्य है।
8	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु तथा शैक्षिक योग्यताएँ, पदोन्नति की स्थिति में लागू होंगी।	आयु : नहीं । शैक्षिक योग्यता : नहीं।
9	परिवीक्षा की अवधि,यदि कोई हो तो	सीधी भर्ती के लिए 02 (दो) वर्ष

10	भर्ती की पद्धति, क्या सीधी भर्ती द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।	पदोन्नति द्वारा जिसके ना होने पर सीधी भर्ती द्वारा
11	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन के मामले में वे ग्रेड जिन से पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना है।	वेतन स्तर-1 में रु.18000-56900/- में कार्यरत विभाग के बहुकार्य कर्मचारियों में से जिन्होंने इस ग्रेड में 03(तीन) वर्षों की नियमित सेवा की हो तथा गेस्टेटनर मशीन चलाने और उसके अनुरक्षण का 1-2 सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो।
12	यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है तो उसका गठन क्या है।	वर्ग "ग" विभागीय पदोन्नतिके लिए डी.पी.सी.जिसमें निम्नलिखित शामिल है:- 1. प्राचार्य, म.ग.रा.म, मायाबन्दर - अध्यक्ष 2. कार्यपालक अभियंता, एन.ए.सी.डी., अ.लो.नि.वि, मायाबन्दर -सदस्य 3. म.ग.रा.म, मायाबन्दर का वरिष्ठतम प्राध्यापक -सदस्य वर्ग "ग" के पुष्टिकरण के लिए विभागीय पुष्टिकरण समिति जिसमें निम्नलिखित शामिल है- 1.प्राचार्य, म.ग.रा.म, मायाबन्दर - अध्यक्ष 2. कार्यपालक अभियंता, एन.ए.सी.डी., अ.लो.नि.वि, मायाबन्दर -सदस्य 3. म.ग.रा.म, मायाबन्दर का वरिष्ठतम प्राध्यापक -सदस्य
13	परिस्थितियाँ जिसमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है।	लागू नहीं।

गेस्टेट्न ऑपरेटर के पद का कार्य विवरण

1. कॉपियर (गेस्टेट्नर अथवा लिथो के स्थान पर) डिजिटल फोटोकॉपियर (जेराक्स मशीन) प्रचालन ।
2. महाविद्यालय में सेमिनारों, बैठकों तथा अन्य प्रतियोगिताओं (संगोष्ठि, वाद-विवाद,चित्रकारी) का दृश्य-श्रव्य पर्यवेक्षण ।
3. कॉपियर को उचित तरीके से चलाना तथा उसका रख-रखाव ।
4. किए गए कॉपियों के रेकार्ड का उचित रख-रखाव ।
5. कर्मचारियों तथा विद्यार्थियों को किए गए कॉपियों का रसीद देना ।
6. कॉपियर के लिए जारी पेपर, टोनर आदि का लेखा-जोखा रखना ।
7. जनहित में जारी अन्य ड्यूटी को करना ।

अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन
सचिवालय

पोर्ट ब्लेयर, दिनांक दिसंबर, 2020

प्रेस विज्ञप्ति

सभी संबंधितों को यह सूचित किया जाता है कि महात्मा गाँधी राजकीय महाविद्यालय, मायाबन्दर की स्थापना में 'गेस्टेट्न्र ऑपरेटर' के पद की भर्ती नियमावली के प्रारूप के संबंध में स्टेकहोल्डरों से दावे तथा आपत्तियाँ आमंत्रित करने हेतु इस प्रशासन द्वारा प्रशासनिक वेबसाईट www.andaman.gov.in पर इस पद की भर्ती नियमावली का प्रारूप अपलोड किया गया है। इस प्रेस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने की तिथि से 30(तीस) दिनों के भीतर अद्योहस्ताक्षरी के पास इस संबंध में दावे/आपत्तियाँ अथवा टिप्पणियाँ जमा करना होगा। इस प्रेस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने की तिथि से 30(तीस) दिनों के बाद किसी भी दावे तथा आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा।

उप सचिव (उच्च शिक्षा)
अं तथा नि प्रशासन, सचिवालय
(फा.सं.7-19/2011-डी.IV)

प्रतिलिपि :

1. सचिव (शिक्षा), अं तथा नि प्रशासन के निजी सचिव को सचिव (शिक्षा) के सूचनार्थ।
2. निदेशक (सूचना एवं प्रचार) अं तथा नि प्रशासन को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
3. प्रबन्धक, राजकीय मुद्रणालय, पोर्ट ब्लेयर इस अनुरोध के साथ कि इस प्रेस विज्ञप्ति को दिनांक..... या उससे पहले लगातार 02 (दो) दिनों तक 'द्वीप समाचार' में प्रकाशित करें तथा इस प्रकाशन की दो प्रतियाँ अद्योहस्ताक्षरी को रेकार्ड तथा रेफरंस हेतु अग्रेषित करें।
4. प्रधान सम्पादक, "द्वीप समाचार" राजकीय मुद्रणालय, पोर्ट ब्लेयर इस अनुरोध के साथ कि इस प्रेस विज्ञप्ति को दिनांक.....या उससे पहले लगातार 02 (दो) दिनों तक 'द्वीप समाचार' में प्रकाशित करें तथा इस प्रकाशन की दो प्रतियाँ अद्योहस्ताक्षरी को रेकार्ड तथा रेफरंस हेतु अग्रेषित करें। (प्रति संलग्न)।
5. कार्यकारी अधिकारी (सोवटेक), डिब्रेट कैम्पस, पहाड़गाँव, पोर्ट ब्लेयर, इस अनुरोध के साथ कि उपरोक्त प्रेस विज्ञप्ति को 'गेस्टेट्न्र ऑपरेटर' के पद की अधिसूचना तथा भर्ती नियमावली के प्रारूप सहित www.andaman.gov.in वेबसाईट पर अपलोड करें।
6. प्राचार्य ज.ने.रा.म, पोर्ट ब्लेयर तथा म.ग.रा.म, मायाबन्दर को सूचनार्थ।

उप सचिव (उच्च शिक्षा)